AC-II

Tiko - 15/2022

श्री बाबू खान v/s [illegible] खान वगै.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली आज दिनांक 01/2/23 को पेश। वकील प्रार्थी- [illegible] / [illegible]- प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 10/5/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय
		आज दिनांक 10/5/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] द्वारा आज कन्सेलेंस/[illegible] बहिष्कार/[illegible] किये जाने के कारण पत्रावली पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 9/5/23 को पेश हो।
		आज दिनांक 9/5/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] द्वारा आज कन्सेलेंस/कार्य बहिष्कार/[illegible] किये जाने के कारण, पत्रावली पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सी. [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/6/23 को पेश हो।
	06/06/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी एवं उप० वकील अभिभाषिका अ०। एवं प्रार्थी/वादी द्वारा मूलवाद को आगे नहीं चलाने बाबत् निवेदन किए जाने पर मूलवाद को खारिज कर निस्तारित किया जा चुका है जब मूलवाद ही निस्तारित हो चुका है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद हेतु निर्णय आज दिनांक 06/06/2023 को सरे इजलास सुनाया गया। 06/06/23 सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner